

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आपराधिक प्रक.क्र. :- 1037/12)
(संस्थित दिनांक :- 27/12/2012)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. शकील खॉन पुत्र मेहरबान खॉन, उम्र 35 वर्ष।
निवासी :- पुराने थाने के पीछे नहर मौहल्ला गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
02. मोहन लुहार पुत्र दौलतराम लुहार, उम्र 35 वर्ष।
निवासी शराब दुकान के पास रिठौरा, थाना रिठौरा, जिला-मुरैना, (म.प्र.)।
..... अभियुक्तगण।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 23/01/2018 को घोषित)

01. अभियुक्तगण शकील खॉन एवं मोहन पर भा.द.सं. की धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के अन्तर्गत सारतः आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक :- 05-06/11/2012 की दरम्यानि रात्रि फरियादी तारा सिंह के आधिपत्य की फेरों सीमेन्ट फैक्ट्री मालनपुर में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया एवं फरियादी तारा सिंह के आधिपत्य से उसकी उक्त फैक्ट्री में से उसके अनमुति के बिना लोहे के एंगल, लोहे के पाईप एवं लोहा काटने की कैची उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

02. प्रकरण में आरोपी धर्मेन्द्र जाटव पुत्र रामरतन जाटव पूर्व से फरार है, जिसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 05-06/11/2012 की दरम्यानि रात्रि सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व फेरो सीमेन्ट फैक्ट्री के अन्दर मालनपुर में, अज्ञात आरोपीगण द्वारा लोहे के पाइप, लोहे का एंगल एवं लोहा काटने की कैची आदि सामान कीमत लगभग 30,000 रुपये चोरी कर लिये जाने की मौखिक रिपोर्ट फैक्ट्री गार्ड तारा सिंह द्वारा दिनांक : 06/11/2012 को सुबह लगभग 07:30 बजे थाना मालनपुर में अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध लेखबद्ध कराये जाने पर, अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 174/2012 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का

नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपीगण का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन अंकित किया गया और उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपी शकील खान से चोरी गये लोहे के एंगल एवं लोहा काटने की कैची जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया एवं आरोपी मोहन लुहार से चोरी गये लोहे के पाईप जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी धर्मेन्द्र से चोरी गये लोहे के पाईप जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वस्तुओं की पहचान कार्यवाही कराई गई। विवेचना के दौरान फरियादी तारा सिंह एवं साक्षी ब्रजभूषण गोस्वामी के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पश्चात् आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण शकील खान एवं मोहन के विरुद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :—

01. क्या आरोपीगण शकील खान एवं मोहन ने दिनांक :— 05—06/11/2012 की दरम्यानि रात्रि फरियादी तारा सिंह के आधिपत्य की फेरों सीमेन्ट फैक्ट्री मालनपुर में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान फरियादी तारा सिंह के आधिपत्य से उसकी उक्त फैक्ट्री में से उसके अनमति के बिना लोहे के एंगल, लोहे के पाईप एवं लोहा काटने की कैची उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. साक्षी बृजभूषण गोस्वामी अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि उसकी मालनपुर में सन् 1994 से प्री कास्ट कंकीट प्रोडेक्ट की फैक्ट्री है। साक्षी आगे कहता है कि उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 07/01/2015 से लगभग 02-03 साल पहले नवम्बर के महीने में रात्रि में उसकी फैक्ट्री से कुछ सामान चोरी चला गया था। उसकी उक्त फैक्ट्री वर्ष 2002 से बंद पड़ी हुई है। फैक्ट्री में चोरी की बात उसके फैक्ट्री के चौकीदार तारा सिंह ने उसे फोन पर सूचना दी थी, उसे घटना की दिनांक याद नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी फैक्ट्री से 19-20 पाइप, फर्मे, कटिंग मशीन इसके अलावा छोटे-छोटे उपकरण भी चोरी हुये थे, जिसकी अनुमानित कीमत 30-35 हजार रुपये थी। उसने चौकीदार तारा सिंह को चोरी की रिपोर्ट करने के लिए थाना मालनपुर भेजा था। थाने से विवेचना करने आए पुलिस वालों को फैक्ट्री से कुछ दूर चोरी गया सामान मिल गया था। जब वह भोपाल से वापस आया तो पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में बृजभूषण अ.सा.01 का कहना है कि उसे चोरी होने की सूचना किस दिनांक को प्राप्त हुई, यह याद नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा है कि चोरी होने की सूचना सुबह 10:00 बजे चौकीदार तारा सिंह से फोन पर प्राप्त हुई थी। मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में बृजभूषण अ.सा.01 का कहना है कि उसने चौकीदार तारा सिंह अ.सा.03 को चोरी की रिपोर्ट करने के लिए थाना मालनपुर भेजा था। जबकि तारा सिंह अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध कराये जाने के तथ्य से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराने वाले तारा सिंह अ.सा.03 द्वारा उक्त घटना की सूचना थाने पर दिनांक : 06/11/2012 को सुबह 07:30 बजे लेखबद्ध कराई गई है। यदि बृजभूषण अ.सा.01 को तारा सिंह अ.सा.03 द्वारा दिनांक : 06/11/2012 को सुबह 10:00 बजे घटना की सूचना दी गई होती और उसके बाद बृजभूषण अ.सा.01 द्वारा तारा सिंह अ.सा.03 को रिपोर्ट करने थाना मालनपुर भेजा गया होता, तो निश्चय ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 दिनांक : 06/11/2012 को सुबह 10:00 बजे के पश्चात् लेखबद्ध की जाती, ना कि दिनांक : 06/11/2012 को सुबह 07:30 बजे। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में बृजभूषण अ.सा.01 एवं तारा सिंह अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में बृजभूषण अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसे जो चौकीदार तारा सिंह अ.सा.03 द्वारा बताया गया, वही उसके द्वारा न्यायालय में बताया गया। इस प्रकार यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर, तारा सिंह के बताये अनुसार घटना की जानकारी प्राप्त करने वाला अनुश्रुत साक्षी है। लेकिन तारा सिंह अ.सा.03 द्वारा अभियोजन कथा का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

10. अभियोजन साक्षी गजेन्द्र सिंह अ.सा.09 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06/11/2012 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी तारा सिंह द्वारा अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध चोरी करने की रिपोर्ट करने पर उसके द्वारा अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 174/2012 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना हेतु एफआईआर राकेश प्रसाद को सौंप दी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में गजेन्द्र सिंह अ.सा.09 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने मन से लेखबद्ध की थी एवं पद क्रमांक 03 में उसने यह दर्शित किया है कि फरियादी तारा सिंह ने रिपोर्ट लिखाते समय आरोपी की पहचान एवं उसके नाम के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये थे। लेकिन कथित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराने वाले फरियादी तारा सिंह अ.सा.03 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध कराये जाने के तथ्य से पूर्णतः इन्कार किया है।

11. अभियोजन साक्षी राकेश प्रसाद अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06/11/2012 को थाना मालनपुर में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 174/2012 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को उसने तारा सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.07 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा तारा सिंह के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किया था एवं दिनांक : 11/11/2012 बृजभूषण के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसके द्वारा दिनांक : 06/11/12 को आरोपी शकील एवं धर्मेन्द्र का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मैमोरेण्डम लिया गया था, जिसमें आरोपीगण ने अभिरक्षा में स्वेच्छया बताया था कि “उन्होंने मोहन सिंह के साथ मिलकर फेरो सीमेन्ट फैक्ट्री के अन्दर चोरी की थी, उसमें से मोहन तीन पाइप ले गया है, बाकी सामान वह दोनों ने रीजेन्सी होटल की बाउण्ड्री के नीचे छिपा दिया है, चलो चलकर बरामद कराए देता हूँ। उक्त मैमोरेण्डम प्र.पी.01 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी शकील से एक लोहे काटने की कैंची एवं एक लोहे का एंगल कोनेदार जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी धर्मेन्द्र से अलग आकार के 12 पाइप जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी धर्मेन्द्र एवं शकील को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 एवं प्र. पी.03 बनाया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 13/12/2012 को आरोपी मोहन से अभिरक्षा में पूछताछ कर धारा 27

साक्ष्य अधिनियम का मैमोरेण्डम बनाया था, जिसमें आरोपी ने अभिरक्षा में स्वेच्छया बताया था कि दिनांक : 05-06/11/2012 की दरम्यानि रात्रि जो उसने आरोपी शकील एवं धर्मेन्द्र के साथ मिलकर फेरो सीमेन्ट फैक्ट्री में चोरी की थी, उसमें उसके हिस्से में तीन लोहे के पाइप आये थे, जो उसने अपने घर में छिपाकर रख दिए हैं, चलो चलकर बरामद कराए देता हूँ। उक्त मैमोरेण्डम प्र.पी.10 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी के घर ग्राम रिठौरा, जिला-मुरैना से तीन लोहे के पाइप जब्ती पंचनामा प्र.पी.11 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी मोहन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.09 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में राकेश प्रसाद अ.सा.08 ने यह दर्शित किया है कि उसे घटनास्थल वाले के फरियादी तारा सिंह के द्वारा बताया गया था, जबकि फरियादी तारा सिंह ने नक्शा-मौका प्र.पी.07 उसके द्वारा बताये अनुसार पुलिस द्वारा बनाये जाने का कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में राकेश प्रसाद अ.सा.08 ने यह दर्शित किया है कि उसने जब्तशुदा सामान होटल रीजेन्सी के पीछे से आरोपी शकील की निशानदेही पर जब्त किया था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि होटल रीजेन्सी के पीछे आरोपी शकील का कोई मकान नहीं है। साक्षी का कहना है कि उसने होटल रीजेन्सी के पीछे झाड़ियों से सामान जब्त किया था और जिस स्थान से उसने सामान जब्त किया था, वह स्थान खुला स्थान है, कोई बंद स्थान नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि होटल रीजेन्सी पर आम लोगों का आवागमन बना रहता है। इस प्रकार साक्षी राकेश प्रसाद अ.सा.08 आरोपी शकील से जिस स्थान से आरोपित घटना में चुराई हुई वस्तुएं जब्त करने का तथ्य बता रहा है, वह स्थान ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ पर केवल आरोपी शकील की एकमेव पहुँच हो या आरोपी शकील का एकमेव आधिपत्य हो, बल्कि विवेचक राकेश प्रसाद अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार उक्त जब्त का स्थान एक ऐसा खुला स्थान है, जहाँ पर आम लोगों का आवागमन बना रहता है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में राकेश प्रसाद अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी मोहन से कोई सामान जब्त नहीं हुआ था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.11 में सम्पत्ति जब्त किये जाने के स्थान के रूप में आरोपी के घर के अन्दर कमरे का कोई उल्लेख नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि आरोपी के घर ग्राम रिठौरा का उल्लेख है। जब्ती पत्रक प्र.पी.11 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उसमें सम्पत्ति जब्ती का स्थान आरोपी का घर स्थित ग्राम रिठौरा अंकित है, ना कि आरोपी का घर स्थित ग्राम रिठौरा का उक्त विशिष्ट स्थान जहाँ से चुराई गई सम्पत्ति जब्त की गई।

14. आरोपी मोहन से चुराई गई वस्तुएं जब्त करने संबंधी जब्ती पत्रक प्र.पी.11 के साक्षी सुनील कुमार अ.सा.04 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि उसके साथ आरक्षक राकेश एवं दरोगा राकेश प्रसाद आरोपी मोहन के घर स्थित ग्राम रिठौरा गये थे, वह यह नहीं बता सकता कि वह लोग आरोपी मोहन के घर कितने बजे गये थे। जब्तीकर्ता राकेश प्रसाद अ.सा.08 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि वह आरक्षक राकेश कुमार एवं सुनील कुमार कितने बजे आरोपी मोहन के घर जब्ती की कार्यवाही करने पहुँच गये थे। जबकि उक्त जब्ती पत्रक प्र.पी.11 के अन्य साक्षी आरक्षक राकेश कुमार अ.सा.05 का कहना है कि वह लोग आरोपी मोहन के घर रात्रि 10:00 बजे पहुँचे थे। जब्ती पत्रक प्र.पी.11 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त जब्ती पत्रक दिनांक : 13/12/2012 को रात्रि 10:00 बजे तैयार ना किया जाकर दोपहर 10:25 बजे तैयार किया गया। इस प्रकार आरोपी मोहन से कथित रूप से जब्त की गई चुराई गई वस्तुएं दिनांक : 13/12/2012 को सुबह 10:25 बजे जब्त की गई थी अथवा रात्रि 10:00 बजे, इस वावत् जब्ती के साक्षी राकेश कुमार अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं जब्ती पत्रक प्र.पी. 11 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि आरोपी मोहन से जब्ती पत्रक प्र.पी.11 के माध्यम से चुराई गई वस्तुएं जब्त किये जाने के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है।

15. साक्षी देव सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06/11/2012 को थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके सामने आरोपी शकील खांन एवं आरोपी धर्मेन्द्र ने बताया था कि “उसने मोहन लौहार, निवासी :- रिठौरा के साथ मिलकर सीमेन्ट फैक्ट्री के अन्दर से लोहे के पाईप, लोहा काटने की कैची चोरी की थी, जिसमें मोहन तीन पाईप ले गया है, बाकी का सामान रिजेंसी होटल की वाउण्ड्री के पास झाड़ियों में छिपाकर रख दिया है। उक्त मैमोरेडम की कार्यवाही उसके सामने हुई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी धर्मेन्द्र एवं शकील को उसके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था, जो क्रमशः प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी शकील से उसके सामने लोहे की कैची एवं लोहे का एंगल जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं आरोपी धर्मेन्द्र जाटव से लोहे के पाईप जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

16. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रधान आरक्षक देव सिंह अ.सा. 02 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी शकील खां को गिरफ्तार किये जाते समय तारा सिंह अ.सा.03 नामक एक अन्य गवाह मौजूद था। जबकि तारा सिंह अ.सा. 03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से इस तथ्य से इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी शकील खां को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार इस वावत् देव सिंह अ.सा.02 एवं तारा सिंह अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य

के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जिससे आरोपी शकील की साक्षी देव सिंह एवं तारा सिंह के समक्ष गिरफ्तारी का तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

17. अभियोजन साक्षी सुनील अ.सा.04 एवं राकेश अ.सा.05 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में सारतः यह दर्शित किया है कि वह दिनांक : 13/12/2012 को थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को मोहन लौहार को उनके सामने एएसआई राकेश प्रसाद ने करीबन 10 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.09 बनाया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी मोहन से शराब की दुकान के पास रिठौरा में पूछताछ करने पर उसने बताया था कि “05-06/11/2012 की दरम्यानि रात्रि उसने शकील एवं धर्मेन्द्र के साथ फेरो सीमेन्ट फैक्ट्री मालनपुर में जो उसने चोरी की थी, उसमें तीन लोहे के पाईप उसे मिले हैं, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ, उक्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मैमोरेंडम प्र.पी.10 के ए से ए एवं बी से बी भाग के मध्य उनके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी मोहन के घर स्थित ग्राम रिठौरा से तीन लोहे के पाईप करीबन 2.5 इंच वाले जिसमें एक आठ फुट का पाईप एवं दो दस फुट के पाईप थे, को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.11 बनाया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

18. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरक्षक राकेश अ.सा.05 द्वारा यह दर्शित किया गया है कि आरोपी मोहन से जब्ती की कार्यवाही शराब की फैक्ट्री के पास की गई थी, जिसमें उसके पास से तीन लोहे के पाईप एवं लोहा काटने की कैची, जिन्हें आरोपी मोहन साथ में लिये हुये था, जब्त की गई थी। जबकि प्रकरण के विवेचक उपनिरीक्षक राकेश प्रसाद अ.सा.08 का उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी मोहन के घर के कमरे से जब्ती की कार्यवाही की गई थी। इसी प्रकार साक्षी सुनील अ.सा.04 एवं राकेश अ.सा.05 का कहना है कि आरोपी मोहन उन्हें शराब की दुकान के पास ग्राम रिठौरा में मिला था। जबकि प्रकरण के विवेचक उपनिरीक्षक राकेश प्रसाद अ.सा.08 का उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी मोहन को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार आरोपी मोहन की गिरफ्तारी एवं उससे चुराई गई वस्तुएं जब्त किये जाने के संबंध में विवेचक उपनिरीक्षक राकेश प्रसाद अ.सा.08 एवं जब्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी सुनील अ.सा.04 एवं राकेश अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि आरोपी मोहन की गिरफ्तारी एवं उससे आरोपित घटना में चुराई गई वस्तुएं जब्त किये जाने के तथ्य को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाते हैं।

19. आरोपित घटना में चोरी गई वस्तुओं के शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.08 के साक्षी पूर्व पंच नारायणी अ.सा.06, पूरन सिंह अ.सा.07 एवं कथित शिनाख्तीकर्ता फरियादी तारा सिंह अ.सा.03 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उनके समक्ष पुलिस द्वारा चुराई गई वस्तुओं की

कोई शिनाख्ती कार्यवाही किये जाने के तथ्य से इन्कार किया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इसलिए यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि अभियोजन आरोपीगण से कथित रूप से जब्तशुदा वस्तुओं की जब्ती प्रमाणित करने में सफल भी रहा होता, तब भी उक्त वस्तुओं की आरोपित घटना में चुराई गई वस्तुओं के रूप में पहचान स्थापित करने में अभियोजन असफल रहा है।

20. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण शकील खॉन एवं मोहन ने दिनांक :- 05-06/11/2012 की दरम्यानि रात्रि फरियादी तारा सिंह के आधिपत्य की फेरों सीमेन्ट फैक्ट्री मालनपुर में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया एवं फरियादी तारा सिंह के आधिपत्य से उसकी उक्त फैक्ट्री में से उसके अनमति के बिना लोहे के एंगल, लोहे के पाईप एवं लोहा काटने की कैची उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

अंतिम निष्कर्ष

21. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण शकील खॉन एवं मोहन के विरुद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

22. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

23. प्रकरण में अभी आरोपी धर्मेन्द्र जाटव पुत्र रामरतन जाटव के संबंध में विचारण एवं निर्णय अभी शेष हैं, इसलिए प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद